

परिशिष्ट -1

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर
विमान सभा द्वारा प्रसारित प्रश्न क्रमांक 2842 (क) भाग की संख्यात्मक जानकारी

संभाग का नाम - जबलपुर		क्रमोन्नति के लिये पात्र प्राथमिक शिक्षकों की संख्या		क्रमोन्नति के लिये पात्र माध्यमिक शिक्षकों की संख्या	
क्र	जिला	12 वर्ष	24 वर्ष	12 वर्ष	24 वर्ष
		639	1296	630	176
1	बालाघाट	1273	1057	460	302
2	छिंदवाड़ा	0	0	0	0
3	छिन्डोरी	487	589	573	49
4	जबलपुर	980	1023	378	57
5	कलसी	0	0	1	0
6	मण्डला	823	326	476	126
7	नरसिंहपुर	571	757	379	42
8	सिवनी	4773	5048	2897	752
योग-					


संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण
जबलपुर संभाग, जबलपुर


अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1)
मंत्रालय, भोपाल

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जवलपुर संभाग जवलपुर

विधान सभा अंतरांकित प्रश्न क्रमांक 868 (ख) भाग की संख्यात्मक जानकारी

संभाग का नाम - जवलपुर

क्र.	जिला	प्राथमिक शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ दिया गया।		माध्यमिक शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ दिया गया।		प्राथमिक शिक्षक जिनके क्रमोन्नत हेतु आदेश जारी नहीं किये गये की संख्या		क्रमोन्नत हेतु शेष माध्यमिक शिक्षकों की संख्या		अध्यापक संदर्भ में 1 क्रमोन्नति एवं 1 पदोन्नति प्राप्त होने के कारण वरिष्ठ कार्यालय से मार्गदर्शन के अभाव में लंबित है।
		12 वर्ष	24 वर्ष	12 वर्ष	24 वर्ष	12 वर्ष	24 वर्ष	12 वर्ष	24 वर्ष	
1	वालाघाट	639	1296	456	46	0	0	174	130	116
2	छिंदवाड़ा	1269	0	460	73	4	1057	0	120	109
3	डिण्डोरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	जवलपुर	137	558	561	47	350	31	28	2	28
5	कटनी	952	1017	363	26	28	6	660	31	31
6	भण्डला	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7	नरसिंहपुर	818	326	429	79	5	0	0	47	47
8	सिवनी	571	757	282	36	0	0	97	6	38
योग-		4386	3954	2552	307			959	336	369

संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण

जवलपुर संभाग, जवलपुर

दिनांक

मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण विभाग (शाखा-1)

जवलपुर, मध्यप्रदेश

निरांकित-2842

लोक शिक्षण संचालनालय

गौतम नगर भोपाल मध्य प्रदेश

Email ID : est3-dpi@mp.gov.in

दूरभाष 0755-2583850, 253053, 253054

परिशिष्ट-तीन

भाग-ई के 312डी जा 100डी

09-08-2024

क्रमांक: रथा-3/एच/836/नवीन शिक्षक संवर्ग कमो वे मान/2018-2024/2327 भोपाल, दिनांक
प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषय:- शिक्षकों के समान नवीन शैक्षणिक संवर्ग प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को 12/24
वर्षीय क्रमोन्नत वेतनमान के लिये शैक्षणिक योग्यता के संबंध में।

संदर्भ:-संचालनालय का परिपत्र क्रमांक / रथापना-3/एच/तृतीय कमो.वे.मान/348/2018
/2024/1744-1745, दिनांक 25.06.2024

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त
अनुमोदन अनुसार शिक्षक संवर्ग (सहायक शिक्षक एवं शिक्षक यूडीटी) को कमोन्नत वेतनमान
के लिये शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है, निर्देश जारी किये गये थे। नवीन शैक्षणिक संवर्ग
प्राथमिक/ माध्यमिक शिक्षक को भी म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक
17 मार्च, 1999/19 अप्रैल 1999 के अनुक्रम में कमोन्नति वेतनमान दिये जाने का प्रावधान है।
अतः नवीन शैक्षणिक संवर्ग यथा प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षक के लिये भी उक्त अनुसार ही
कमोन्नति की पात्रता देखने की व्यवस्था है। कमोन्नति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता
होना आवश्यक नहीं है।"

यह भी संज्ञान में आया है कि स्पष्ट निर्देशों के बाद भी संयुक्त संचालक एवं जिला
शिक्षा अधिकारी कई प्रकरणों में अनावश्यक रूप से मार्गदर्शन का पत्र भेजकर प्रकरणों को
लंबित रखते हैं। यह स्थिति उचित नहीं है। भविष्य में अनावश्यक रूप से मार्गदर्शन न मांगें।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए कमोन्नत वेतनमान के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर
से एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए कमोन्नत वेतनमान के आदेश संयुक्त संचालक के स्तर से
जारी होंगे।

उपरोक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में लंबित प्रकरणों को एक
सप्ताह में निराकरण कर कार्यवाही पूर्ण कर सूचित करें।

आयुक्त, इ.रा. कुमुदी

(के.के. द्विवेदी)

संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

09-08-2024

पृ.क्रमांक: रथा-3/एच/836/नवीन शिक्षक संवर्ग कमो वे मान/2018-2024/2328 भोपाल, दिनांक
प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा संचालनालय, पर्यावास भवन, भोपाल।
4. अपर संचालक, लोक शिक्षण (वित्त) स्थानीय।

संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

अनुमोदित

मध्यप्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1)

भोपाल